

02/9/25

द्वितीय पक्ष एवं उपस्थित प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष सं. 01 एवं 02 के द्वारा एक आवेदन दाखिल किया गया। साथ ही Index of documents के साथ राजस्व दस्तावेजी दाखल भी दाखिल किया गया। बाद में प्रथम पक्ष आरंभ से ही अनुपस्थित रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में दाखिल नहीं ले रहे हैं। राजस्व प्रतिवेदन भी प्राप्त है। किली उष्मा के लोक परिशानि भंग होने की संभावना भी प्रतीत रही होती है।

आई.एस. देव

02/9/25

02/9/25

आदेश

वाद - 02/25

(U/S 164 BNS)

भा. नं. सु. सं. की धारा 164 के तहत सुनवाई की विभिन्न तिथियों में प्रथम पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे। द्वितीय पक्ष उपस्थित हुए। द्वितीय पक्ष कारण पृच्छा के साथ अन्य दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इसी वाद ग़लत भूमि पर Partition तथा Injunction हेतु Civil Suit उभय पक्षों के मध्य व्यवहार न्यायालय में संचालित है।

आई -

या रीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02/25 (U/S 164 BNSS)	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

जादी.

चुंकि वाद में प्रथम पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे हैं तथा इनके द्वारा अन्य कोई माध्यम से अपना पक्ष नहीं रखा गया। प्रथम पक्ष को वाद से संबंधित नोटिस का तात्रिला भी कक्षाया गया है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष को वाद में कोई रुचि शेष नहीं है। वर्तमान में इस विवाद को लेकर लोक परिज्ञाति भंगा होने की कोई आशंका भी सूचना या संज्ञान में नहीं है। वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में धारा 164 भा० ना० सु० सं० के तहत संचालित कार्यवाई को बिना कोई अंतिम आदेश पारित किए समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

02/9/25

अनुमंडल पदा

जगदीश-सरिचा

02/9/25

अनुमंडल पदा

जगदीश-सरिचा